



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1530/DL/3/2023-APCR

दिनांक :06/05/2024

प्रति

श्रीमती सुमनलता बाई,  
मकान न .449,  
गली न .2 , अम्बेडकर नगर,  
हैदर पुर, दिल्ली -110088  
मो न :6350328803

विषय : अनुसूचित जनजाति की महिलाके साथ उनके वरिष्ठ (सिपाही) आधिकारी सहायक के द्वारा अभद्र व्यवहार पुलिस आयुक्त, कूरता एवं जाति सूचक शब्दों द्वारा प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में एफदर्ज करवाने के सम्बन्ध में .आर.आई.

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **10-05-2024 समय 12:00 Noon** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)  
उप निदेशक/ Deputy Director  
Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in